

स मा ह र णा ल य, कि श न गं ज

(जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

पत्रांक- /जि0आ0,दिनांक.- / /2013

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
किशनगंज।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल,किशनगंज।

विषय :: गोदाम निर्माण (वेयर हाउस निर्माण) से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :: इस कार्यालय के पत्रांक 319/जि.आ. दिनांक 28.06.2011, 381/जि.आ. दिनांक 19.07.2011,533/जि.आ. दिनांक 23.09.2011,156/जि.आ. दिनांक17.03.2012 एवं 54/जि.आ. दिनांक 09.02.2013 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के आलोक में यह कहना है कि दो वर्ष से ज्यादा दिनों से कार्य प्रारम्भ करने के बाद अभी तक गोदाम निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, जो चिन्ताजनक है। उससे भी ज्यादा खेदजनक स्थिति यह है कि अभी तक दिये गये राशि की उपयोगिता प्रमाण-पत्र / डी.सी. विपत्र हेतु मूल अभिश्रव अप्राप्त है तथा कई स्मार देने के बावजूद आपके द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार की कार्यवाई नहीं किया जाना आपके घोर लापरवाही का द्योतक है।

अतः निदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के दो दिनों के भीतर

- I. उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में (प्रपत्र संलग्न)
- II. डी.सी. विपत्र हेतु मूल में अभिश्रव
- III. विलम्ब के कारणों को दर्शाते हुए प्रतिवेदन

उपलब्ध कराया जाय अन्यथा आपके विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाई करने पर विचार किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

जिला पदाधिकारी,
किशनगंज।

ज्ञापांक.....जि.आ., दिनांक...../2013

प्रतिलिपि :- अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सचिव, भवन प्रमंडल, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला प्रबंधक, किशनगंज को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
किशनगंज।